Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 13.08.2025

Name of the Newspaper	Hindustan Times	•
Date	14.08.2025	8
Edition (H/E)	English	
Page No.	01 and 06	5) (2) (3) (4) (4) (5) (4) (5) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6) (6

CAG DETECTS LAPSES IN ALLOTMENT OF PROPERTIES BY GR NOIDA AUTHORITY

Rajesh Kumar Singh and Vinod Rajput

letters@hindustantimes.com

LUCKNOW/NOIDA: The Comptroller and Auditor General (CAG) of India has uncovered serious procedural lapses in the functioning of the Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA), citing irregularities in planning, land acquisition, pricing, and allotment that caused notional losses of ₹13,362 crore to the state exchequer.

see the next page also.

CAG detects lapses in allotment of properties by Gr Noida Authority

Rajesh Kumar Singh and Vinod Rajput

letters@hindustantimes.com

LUCKNOW/NOIDA: The Comptroller and Auditor General (CAG) of India has uncovered serious procedural lapses in the functioning of the Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA), citing irregularities in planning, land acquisition, pricing, and allotment that caused notional losses of ₹13,362 crore to the state exchequer.

The performance audit, covering the period from 2005-06 to 2017-18 and later updated to April 2021, found that irregularities in group housing plot allotments alone accounted for ₹10,732 crore in dues. These lapses not only drained state revenue but also delayed housing projects, leaving thousands of homebuyers in distress.

According to the report, dues worth ₹19,500 crore were pending as of April 2021 for land premium, lease rent, and interest largely from allotments made since GNIDA's inception in 1991.

The findings, based on an audit conducted between December 2018 and November 2019, were tabled in the Uttar Pradesh Assembly on Wednesday by parliamentary affairs minister Suresh Kumar Khanna during the ongoing Monsoon

Vinod Kumar, GNIDA's general manager (finance), said corrective steps were being taken: "Following the CAG report, we have revised our allotment policies to prevent errors in future. The staff is working on recovering the outstanding dues in line with the CAG's recommendations."

Major findings

Between 2005-06 and 2014-15, GNIDA allotted 94 group housing plots — later subdivided into 186 - covering about 2,017 acres. No new allotments were made in this category after 2014-15. By April 2021, only 27 projects (18% of the targeted 148) were completed, while 95 allottees had not even partially completed construction. Many homebuyers have been waiting



CAG report was tabled in the UP assembly on Wednesday.

up to eight years for possession.

Dues were pending from 81% of allottees, with ₹7,100 crore overdue for more than three years in 66 cases. Despite clear defaults, the authority failed to cancel these plots as required under allotment terms.

The report also revealed that eight out of nine plot schemes launched during this period were initiated without prior board approval. In three cases, they were never even placed before the board for ex-post facto approval.

The CAG concluded that GNIDA showed "serious lapses of probity, integrity, and ethics,' failing to act against defaulting builders and its own officials. The situation reflected both poor enforcement and disregard for financial discipline.

During land acquisition, officials misused urgency provisions meant for exceptional circumstances, sidestepping farmers' rights. Allotments were marred by selective relaxation of brochure conditions, underpricing of plots, reduction in allotment money, and permission to mortgage despite outstanding dues. Builders were allowed to subdivide, exit, or transfer plots before completing

The audit said officials acted "in clear breach of public trust" and in "complete disregard to the interest of GNIDA as well as ultimate buyers."

Other key lapses

GNIDA, established under the UPIAD Act, 1976 to develop an industrial area near Delhi, was found to have prioritised residential development over its industrial mandate.

Under the Master Plan 2021, land acquisition, development, and allotment between 2005-06 and October 2011 were undertaken without approval from

the National Capital Region Planning Board (NCRPB). By September 2019, residential land development stood at 104.04% of the planned area, while industrial land development lagged at 67.47%

Out of 2,580 industrial plots allotted from 1991 to March 2021, only 1,341 units (52%) were operational - with 1,194 of them functional after delays of up to 19 years. Nearly half of the industrial projects (48%) remained incomplete, undermining GNIDA's core objective of industrialisation and job cre-

Frequent revisions in acquisition proposals, poor due diligence, and delays led to avoidable expenditures, including ₹527.84 crore in excess compensation and overpriced direct land purchases.

Even when builders defaulted on payments long past the due period, GNIDA failed to cancel projects, encouraging profiteering through changes in allottee ownership. Dues worth ₹10,733 crore were pending as of April

Audit scope

The CAG audit, ordered by the UP government in July 2017. examined the effectiveness and transparency of GNIDA's land acquisition and allotment procedures across industrial, residential, commercial, sports city, institutional, IT, and farmhouse categories.

It also reviewed master plan preparation, property pricing, and internal controls.

The findings paint a picture of systemic failures at all levels - from the GNIDA Board to operational staff — with adverse consequences for the state's revenue, planned industrialisation, and the rights of farmers and homebuvers.

Following the audit. GNIDA says it has made changes to its allotment policies and is pursuing recovery of pending dues.

However, the CAG report stresses the need for stronger enforcement, transparent decision-making, and adherence to statutory requirements to prevent recurrence.

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 13.08.2025

Name of the Newspaper	The Times of India	
Date	14.08.2025	a)
Edition (H/E)	English	
Page No.	ol and os	2

CAG: GNIDA suffered ₹19.5k cr revenue losses till 2017-18

Lucknow: The Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) suffered revenue losses to the tune of Rs 19,500 crore due to defaults in land premium, lease rent and interest mainly against allotments made since inception (1991) till 2017-18, the period covered in an audit, as per CAG, reports Rajiv Srivastava.

The report of the CAG of India on land acquisition and allotment of properties in GNIDA was tabled in Vidhan Sabha on Wednesday, The report has brought for the some port has brought for the some prious lapses on the part of GNIDA leading to heavy losses to the authority. The report covers land acquisition and allotment of properties in GNIDA between 2005-06 and 2017-18. P5

see the next page also.

GNIDA suffered ₹19.5k crore revenue losses till '17-'18 due to lapses: CAG

'Didn't Develop Gr Noida As An Industrial City'

Rajiv.Srivastava1
@timesofindia.com

Lucknow: The Greater Noida Industrial Development Authority (GNIDA) suffered revenue losses to the tune of Rs 19,500 crore due to defaults in land premium, lease rent and interest mainly against allotments made since inception (1991) till 2017-18, the period covered in an audit, a CAG report said

The report of the Comptroller and Auditor General of India on land acquisition and allotment of properties in GNIDA was tabled in Vidhan Sabha on Wednesday. The report has brought forth some serious lapses on the part of GNIDA leading to heavy losses to the authority

The report covers land acquisition and allotment of properties in GNIDA between 2005-06 and 2017-18.

According to the report, total revenue loss of Rs 13,362 crore has been detected due to short recoveries, undue benefits to allottees and irregular and additional/avoidable expenditure in the test-checked cases.

One of the most glaring

WHAT CAG AUDIT FOUND

CAG audited group housing and builder plots allotted by GNIDA from 2005-06 to 2017-18

Allotments & completion

- > 94 plots allotted, later subdivided into 186 projects
- ➤ Of these, 148 projects were to be completed by April 2021
- > But only 27 were ready

Financial irregularities

Total dues ₹ 10,732 crore (April 2021)

- >₹7,100 crore overdue for 3+ years in 66 cases
- >₹168 crore lost due to outdated allotment rates



remarks made by CAG is that GNIDA focused on developing Greater Noida township as a residential township instead of developing it as an industrial facility as required under the UPIAD Act, 1976.

The CAG report pointed out that land acquisition, development and allotments from 2005-06 till Oct 2011 were done under Master Plan 2021, which was not approved by National Capital Region Planning Board (NCRPB), which was a must in view of apex court and high court orders in this regard.

Till 2014-15, GNIDA did not incorporate the condition of developing 20-25% EWS and LIG housing stocks in the scheme brochures of builders/group housing plots.

As on Sep 2019, even after 28 years of the formation of

GNIDA, the development of industrial land was only 67.47% of the area planned for industrial activities, whereas development of residential land was 104.04% of the residential area planned, the report said.

Out of 2,580 industrial plots allotted by GNIDA from Jan 1991 to March 2021, industrial units on only 1,341 plots (52%) were made functional. GNIDA also failed in cancelling projects which were not made functional beyond stipulated time which gave undue favour to the allottees and encouraged profiteering in transfer of land through change in constitution of allottees, the report said. As on April 2021, 972 defaulting allottees of industrial plots owed Rs 630.56 crore towards land premium, lease rent and interest.

No approvals were taken

before changing land use, the report said. CAG noticed failure in due diligence on the part of GNIDA leading to frequent revisions in acquisition proposals and avoidable expenditure on account of delays, avoidable payment of additional compensation to cases of direct purchases and purchase of land at higher rate resulting in additional payouts to the extent of Rs 527.84 crore.

The report noted that GNIDA allowed excess floor area ratio (FAR) and ground coverage (GC) over and above building regulations causing undue enrichment of allottees overlooking its own interest. The combined effect of inadequate consideration of essential inputs in a uniform manner and not considering FAR and GC in fixation of sale price deprived GNIDA of revenue

worth Rs 6411.29 crore between 2007-08 and 2016-17.

Out of the total of 186 (183 builders, 3 group housing), only 27 builders/group housing allottees could complete projects as against completion of 148 projects as on April 2021. GNIDA failed to recover dues from builders even after a lapse of tenure of payment leading to pending receipt of Rs 10,732.44 crore as on April 2021.

At least seven plots valuing Rs 635.47 crore were allotted to five builders despite the fact that they had defaulted on already allotted plots. These builders further defaulted on subsequentallotments taking the accumulated loss to Rs 877.03 crore till April 2021. The outstanding amount on their earlier allotments had accumulated to Rs 461.99 crore.

Similarly, out of 335 commercial plots (23,33,952 sq m area) and 428 built-up/kiosks (13.178 sq m) allotted by GNIDA since inception till April 2021, construction was completed only on 28 plots (9%).

Out of 428 built-up/kiosks allotted, only 289 were made functional due to lack of monitoring by GNI-DA

The CAG pointed out that the internal control system in GNIDA was significantly weak. The UP govt and GNIDA failed to perform oversight roles.

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 13.08.2025

Name of the Newspaper	देनिक जागरण	
Date	14.08.2025	
Edition (H/E)	हिंदी:	
Page No.	12	

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की योजनाओं में सीएजी को मिलीं बड़े स्तर पर अनियमितताएं भेखड़ा के आवटन मंग 13,362 कराड का नुकसान 9.61 करोड़ के प्रोत्साहन

दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक 1991 व भूखंडों का आवंटन शुरू कर के बिना ही भूमि अर्जन, विकास रीजन प्लानिंग बोर्ड) की स्वीकृति पर रखी गई। रिपोर्ट के अनुसार प्राधिकरण के अधिकारियों ने उजागर किया गया है। यह रिपोर्ट बुधवार को विधानमंडल के पटल एनसीआरपीबी (नेशनल कैपिटल आवंटन में बड़े स्तर पर गड़बड़ी पाई गई है। इसके चलते सरकार को 13,362 करोड़ रुपये के राजस्व नोएडा प्राधिकरण की महायोजना के (सीएजी) की रिपोर्ट में यह तथ्य तहत विभिन्न श्रीणयों में भूखंडों के राज्य ब्यूरा, जागरणं लखनकः ग्रेटर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक नुकसान उठाना पड़ा है। भारत भूमि अर्जन, औद्योगिक, बिल्डर, ग्रुप

सीएजी रिपोर्ट

विशिष्ट आवंटियों से न हो सकी व ब्याज अदायगी में चूक से भूमें का प्रीमियम, पट्टा किराया वसूली, न नीटिस जारी किया ५४६४.३२ करोड़ की लागत 19,500 करोड़ ओवरड्यू

से 2017-18 तक ग्रेनो प्राधिकरण में को 19,500 करोड़ रुपये अतिदेय अदायगी में चूक होने से प्राधिकरण प्रीमियम, पट्टा किराया व ब्याज की से अप्रैल 2021 तक भूमि का (ओवरड्यू) था। राज्य सरकार ने वर्ष 2005-06

दर निर्धारित करनी चाहिए थी। ब्याज व्यय की गणना कर भूखंडों की निर्धारित करने के लिए इनपुट व तल का नुकसान हुआ। भूखंडों की दर प्राधिकरण ने भूखंडों के विक्रय का क्षत्र अनुपात, आबादी आवटन तथा सरकार को 6,411.29 करोड़ रुपर कम मूल्य निर्धारित किया। इससे मूल्य निर्धारण में नुकसान 6,411.29 करोड़ का विक्रय

रिपोर्ट के अनुसार, प्राधिकरण ने सीएजी को सौंपी थी। सीएजी की आइटी व फार्म हाउस भू-उपयोग श्रेणियों के तहत भूखंडों के आवंटन प्रक्रिया के आकलन की जिम्मेदारी के लिए अपनाई गई नीतियों व हाउसिंग, वाणिज्यिक, स्पोर्ट्स सिटी

किया गया था। एनसीआरपीबी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास के लिए इसका गठन दिल्ली के पास के ने वर्ष 2021-22 में इस श्रेणी को योजना में शामिल किया। गठन के ही विकसित कर पाया था, जबकि लिए सिर्फ 67.47 प्रतिशत भूमि 28 वर्षों बाद भी ग्रेनो उद्योगों आवंटन ही नहीं किया गया। ग्रेनो इस श्रेणी में मार्च 2021 तक कोई शामिल ही नहीं किया था। नतीजतन 20 से 25 प्रतिशत इंडब्ल्यूएस व युप हाउसिंग व बिल्डरों के लिए एलआइजी हाउसिंग को योजना में भुगतान किया गया। में 527.84 करोड़ रुपये का अतिरिक्त क्रय करने को लेकर प्रतिकर के रूप कोई प्रविधान नहीं है। उच्च दर पर भूमि 2013 के तहत इस प्रकार के बोनस का जबकि भूमि अर्जन अधिनियम-1894 व 9.61 करोड़ का भुगतान किया था, बोनस (प्रोत्साहन बोनस) के रूप में गांवों के 92 किसानों को नो लिटिगेशन प्राधिकरण ने बोर्ड के अनुमोदन पर 17 बोनस का अनियमित भुगतान

भूमि) से आवासीय, औद्योगिक ने भू-उपयोग को रिक्रिएशनल (मनारजन व खल-कूद से संबंधित की स्वीकृति के बिना ही ग्रेनो विशिष्ट आवंटियों से 5464.32 स्पोर्ट्स सिटी में परिवर्तित कर निजी योजनाएं शुरू कर दी थीं। प्राधिकरण ग्रुप हाउसिंग व स्पोर्ट्स सिटी की बिल्डरों को लाभ पहुंचाने के लिए से आवासीय व रिक्रिएशनल से

> करोड़ की वसूली नहीं वड़े बिल्डरों से 10,732.44

10,732 .44 करोड़ नहीं वसूल सका प्राधिकरण वर्ष 2021 तक बिल्डरों से समय सीमा समाप्त होने के बाद भी युप हाउसिंग परियोजनाएं पूरी की गई में परिवर्तित कर दिया गया, जबकि अंत तक इन्हें उप-विभाजित कर 183 आविंदत किए गए। मार्च 2021 के 94 बिल्डरों को ग्रुप हाउसिंग भूखंड निर्धारित समय में केवल 27 बिल्डर व बिल्डर व तीन ग्रुप हाउसिंग भूखडा है। वर्ष 2005-06 से 2014-15 तक भी बड़े पैमाने पर धांधली सामने आई रिपोर्ट में युप हाउसिंग परियोजनाओं में

भुगतान के 307.37 करोड़ रुपये की भी वसूली नहीं की गई। गए। किसानों को किए गए अनुग्रह के लिए नोटिस ही जारी नहीं किए नहीं सका। इस लागत को वसूलने करोड़ रुपये की लागत वसूल ही

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 13.08.2025

Name of the Newspaper	हिन्दुस्तान	
Date	14.08:2025	
Edition (H/E)	हिंदी	=
Page No.	10	u g

ग्रेनोभूमि अर्जनमें 133 अरबका नुकसान




लखनऊ, विशेष संवाददाता। ग्रेटर् नोएडा प्राधिकरण द्वारा भूमि अर्जन, परिसम्पत्तियों के मूल्य निर्धारण एवं आवंटन में पारदर्शिता का अभाव रहा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने जन विश्वास का स्पष्ट उल्लंघन किया और आवासीय और वाणिज्यक परियोजनाओं के खरीददारों के हितों का पूरी तरह अनादर किया। राजकोष को हानि हुई। इस कारण आवंटियों को अनुचित लाभ हुआ। अनियमित एवं अतिरिक्त व्यय भी हुआ।

यह खुलासा सीएजी की ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण जीनीडा में भूमि अर्जन एवं परिसम्पत्तियां के आवंटन संबंधी रिपोर्ट में हुआ है। यह रिपोर्ट बुधवार को विधानसभा में रखी गई। यह रिपोर्ट वर्ष 2005-06 से 2017-18 के दौरान भूमि अर्जन तथा औद्योगिक, बिल्डर, ग्रुप हाउसिंग, वाणिज्यिक, स्पोर्ट्स सिटी, संस्थागत एवं आईटी एवं फार्म हाउस भू-उपयोग श्रेणी के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के आवंटन के लिएनिर्णयों व उसके असर पर आधारित है।

जमीन आवंटन में महत्वपूर्ण किमयां पाई गईं हैं। जीनीडा के बोर्ड, उसके प्रबंधन एवं अधिकारियों के स्तर पर विफलताएँ देखी गईं। यही नहीं भूमि के अर्जन के दौरान, अर्जेन्सी क्लॉज के प्रावधानों का दुरुपयोग कर किसानों के अधिकारों को किनारे कर दिया गया। खुलासा हुआ कि प्राधिकरण की विवरणिका की शर्तों में चुनिंदा बदलाव किए गए। विधानमवन में रखी गई सीएजी रिपोर्ट में खुलासा आवंटियों को अनुचित लाम दिया,अतिरिक्त व्यय भी हुआ

 जमीन आवंटन में कई और कमियां पाईं गईं

आवंटियों से 5464.32 करोड़ रुपये नहीं वसूल सका ग्रेनो प्राधिकरण



लापरवाहा सामन आई है। ग्रेटर नीएडी प्राधिकरण विशिष्ट आवंटियों से 5464 .32 करोड़ रुपये की लागत वसूल ही नहीं सका। इसी प्रकार किसानों को किए गए अनुग्रह भुगतान के 307 .37 करोड़ रुपये की भी वसूली नहीं की गई। यह खुलासा बुधवार को सदन में पेश की गई सीएजी रिपोर्ट में हुआ है। सीएजी ने कहा कि अधिकारियों ने नेशनल कैपिटल रीजन बोर्ड की स्वीकृति के बिना ही भूमि अर्जन, विकास व भूखंडों का आवंटन शुरू कर दिया था। पष्टा किराया व ब्याज लेने में चूक हुई। इस कारण प्राधिकरण का अप्रैल 2021 तक 19,500 करोड़ रुपये का अतिदेय यानी ओवरड़यू निकला है।

ग्रेटर नीएडा प्राधिकरण ने अपात्र आवेदकों को बांट दिए भूखंड

लखनऊ। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणा द्वारा कई स्तर पर की गई गड़बड़ियों को उजागर किया गया है। प्राधिकरण ने जरूरी दस्तावेजों के न होने के

बावजूद भूखंड आवंटित कर दिए। रिपोर्ट में सीएजी ने कहा कि आवंदकों को प्रमोटरों की पृष्टभूमि, विगत तीन वर्षों के लेखापरीक्षा खाते तथा बैलेंस शीट, परियोजना का तीन वर्ष का अनुमानित नकदी प्रवाह, निधि के स्रोत का विवरण, भू—उपयोग स्वरूप, निर्माण योजना एवं कार्यान्वयन आदि देना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि संस्थागत भूखण्डों के आवंटन के 45 प्रकरणों में से 28 भूखण्ड ऐसे आवंदकों को आवंटित किये गए थे, जिनके पास निर्धारित दस्तावेज नहीं थे। इसी प्रकार, आईटी भूखण्डों के आवंटन के 50 प्रकरणों में से 16 प्रकरणों में, आवंदकों के पास इसी प्रकार के दस्तावेज नहीं थे।

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 13.08.2025

Name of the Newspaper	शष्ट्रीय सहारा	ě
Date	14.08.2025	
Edition (H/E)	'हिंदी	
Page No.	02	

सीएजी की रिपोर्ट से जीनीडा में भारी खामियों का खुलासा

लखनऊ (एसएनबी)। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को विधान सभा में वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) की ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीनीडा) की रिपोर्ट को विस पटल पर रखा। सीएजी की यह रिपोर्ट वर्ष 2023 की है, जो वर्ष 2025 में आयी है। इसमें ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (ग्रेनो) में बड़ी अनियमितता का राजफाश किया गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण में बिना अधिग्रहण के 8000 वर्ग मीटर जमीन आवंदित करने के मामले में काफी सवाल उठे और योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (ग्रेनो) में भूमि घोटाले पर एक्शन लिया था। बिना अधिग्रहण जमीन आवंदित करने पर तीन अधिकारियों को निलंबित किया गया था। मामला ग्रेनो वेस्ट के पतवाड़ी गांव से जुड़ा है, जहां 2008 में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसी तरह ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में भी बड़े पैमाने पर धांधली उजागर हुई है।

सीएजी की रिपोर्ट में ग्रुप हाउसिंग परियोजनाओं में वर्ष 2005-06 से 2014-15 तक 94 बिल्डरों को ग्रुप हाउसिंग भूखंड आवंटित किए गए। मार्च 2021के अंत तक इन्हें उप-विभाजित कर 183 बिल्डर व तीन ग्रुप हाउसिंग भूखंडों में परिवर्तित कर दिया गया, जबिक निर्धारित समय में केवल 27 बिल्डर व ग्रुप हाउसिंग परियोजनाएं पूरी की गई। समय सीमा समाप्त होने के बाद भी ग्रेनो वर्ष 2021 तक बिल्डरों से 10,732.44 करोड़ स्पये नहीं वसूल सका था। इसके साथ ही रिपोर्ट में औद्योगिक उपयोग से आवासीय उपयोग में बड़े परिवर्तन निजी बिल्डरों को लाभ पहुंचाने, एलएए 1894 के तहत भूमि अर्जन व प्रतिकर के भुगतान में अनियमितता बरती गई।

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 13.08.2025

Name of the Newspaper	नवभारत दाइम्स	
Date	14.08.2025	•
Edition (H/E)	REG!	
Page No.	12	

जीनीडा के अफसर-बोर्ड के फैसलों पर उठाया सवाल, ₹32800 करोड से ज्यादा का नुकर

■ NBT रिपोर्ट, लखनऊ : ग्रेटर नोएडा औद्योगिक प्राधिकरण (जीनीडा) में नियोजन से लेकर किसानों की जमीन लेने, उन्हें मुआवजा बांटने, विकास कार्य के बाद संपत्तियों की कीमते तय करने और आवंटन से लेकर बकाया रकम वसूलने तक में भारी लापरवाही के चलते हजारों करोड़ रुपये की राजस्व क्षति और ओवरड्यू हुआ। यह खुलासा सीएजी की रिपोर्ट में हुआ है। जीनीडा में साल 2005-06 से लेकर 2017-18 🗜 तक हुए कामकाज और लिए गए फैसलों की सीएजी ऑडिट रिपोर्ट बुधवार को विधानसभा के पटल पर रखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक कम वसूली, आवंटियों को अनुचित लाभ दिए जाने और गैर जरूरी कामों में खर्ची से करीब ₹13,300 करोड़ से ज्यादा की राजस्व क्षति का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा भूमि प्रीमियम, पट्टा किराया और ब्याज की कमी और आवटन के तौर तरीकों

सीएजी रिपोर्ट : इन अनियमितताओं की ओर इशारा

 आवंटियों के खिलाफ लैंड प्रीमियम. पट्टा किराया और ब्याज की करीब ₹630 करोड़ की रकम ओवरड़यू मिली । ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स के पूरा होने में देरी और करीब 85% प्रॉजेक्ट्स तय समय के बाद भी पूरे नहीं हुए। इससे ₹10,732 करोड़ की रकम फंस गई। 🔳 पर्याप्त दस्तावेज न होने पर भी फाइनेंशियल बिड खोलकर ₹272 करोड़ के चार प्लॉटों के आवंटन को मंजूरी दे दी गई। आवंटन के दौरान 30% के बजाय

में चुक के कारण जीनीडा का ओवरडयु में भारी किमयां मिली। इसके लिए करीब ₹19,500 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया था। ऑडिट रिपोर्ट के मृताबिक जीनीडा के कामकाज में पारदर्शिता

20% रकम जमा कराने का फैसला किया गया जबकि सीईओ को ऐसा करने का अधिकार नहीं था। बिल्डरों को दी गई इस सुविधा से प्रीमियम का ओवरड्य 8060 करोड़ हो गया स्पोर्ट्स सिटी में अपात्रों को भूखंड दिए गए। योजना पूरी नहीं हुई। आवंटियों ने ₹2,329 करोड़ का बकाया भूगतान करने में चूक की। । भू-उपयोग के उलट वाणिज्यिक गतिविधि के बजाय संस्थागत गतिविधि की मंजूरी देने से ₹519 करोड़ के राजस्व का नुकसान।

तत्कालीन अधिकारी और बोर्ड के प्रबंधन को विफल करार दिया गया है। इसके अलावा एफएआर और ग्राउंड कवरेज के साथ एफएआर में छूट देने से लेकर

किसानों के प्रतिकर भुगतान में गड़बड़ी ग्रुप आउसिंग प्रॉजेक्ट्स में लेटलतीफी समेत कई बिंदुओं पर सैकड़ों करोड़ की वित्तीय अनियमितताएं सामने आई है। आवंटियों की जमा रकम का मिलान तक नही : ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक आंवटियों द्वारा जमा करायी गई रकम का बैंकों के दस्तावेजों से मिलान तक नहीं कराया गया था। ऐसे में धोखाधड़ी की आशंका बनी हुई थी। यही नहीं विभाग के भीतर आंतरिक लेखा परीक्षा (ऑडिट) की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऑडिट टीम ने तमाम कमियों का जिक्र करते हुए जीनीडा को उसके उद्देश्यों को पूरा करने में विफल करार देत हुए इसकी योजनाओं में निवेश करने वालों के हितों को खतरे में डालने का भी जिक्र किया है। इसके साथ ही विभागीय कमियों के चलते हजारों करोड़ रुपये के नुकसान की बात कही है।

Date of laying/tabling of Audit Report in the State Legislature: 13.08.2025

Name of the Newspaper	अमर् उजाला	
Date	14.08.2025	
Edition (H/E)	हिंदी	
Page No.		38 ×

नियमों को ताक पर रख आवंटन, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को 32000 करोड़ का नुकसान

लखनऊ। औद्योगिक क्षेत्र के लिए ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण गठन करीब 34 साल पहले किया गया था। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी)-2023 की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि अफसरों की लापरवाही और बिल्डरों को अनुचित लाभ देने की वजह से प्राधिकरण को 32 हजार करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ जिसमें करीब 19 हजार करोड़ का बकाया है।

सीएजी रिपोर्ट में नियोजन, भूमि अर्जन, परिसंपत्तियों के मूल्य निर्धारण और इनके आवंटन में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं में गंभीर किमयां पाई गई। ये विफलता प्राधिकरण के बोर्ड, उसके प्रबंधन और अधिकारियों तक थीं। नियमों का दुरुपयोग कर किसानों के अधिकार किनारे कर दिए गए। संपत्तियों के आवंटन और नियमों का जमकर उल्लंधन किया गया।

रिपोर्ट में कहा गया है कि आवंटन की शर्तों में मनमाफिक बदलाव, भूखंडों की कम कीमत तय करने और बकाया होते हुए भी बिल्डरों को बंधक रखने

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक -2023 की रिपोर्ट में खुलासा

48% औद्योगिक परियोजनाएं रह गईं अधूरी

 प्राधिकरण में 48% औद्योगिक परियोजनाएं अधूरी रह गईं। इस वजह से ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के गठन का उद्देश्य ही फेल हो गया। नियमों के विपरीत औद्योगिक टाउनशिप विकसित करने की जगह ग्रेटर नोएडा को आवासीय टाउनशिप के रूप में विकसित करने पर ध्यान दिया।

प्राधिकरण के गठन के 28 सालों के बाद भी औद्योगिक भूमि का विकास औद्योगिक गतिविधियों के लिए नियोजित क्षेत्र का केवल 67.47% था जबिक आवासीय भूमि का विकास नियोजित आवासीय क्षेत्र का 104.04% था। यहां भी प्राधिकरण फेल हो गया क्योंकि बिल्डरों को दी गई केवल 14.52 जमीन पर ही परियोजनाएं आ सर्की। नियमों के उल्लंघन के बावजूद प्राधिकरण ने बिल्डरों व आवंटियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई।

630 करोड़ की चोट जनवरी 1991 से मार्च 2021 तक प्राधिकरण द्वारा आवंटित 2580 औद्योगिक भुखंडों में से केवल 1341 भखंडों (52%) पर औद्योगिक इकाइयों को क्रियाशील बनाया गया। इसमें 19 वर्ष की देरी के बाद 1194 इकाइयां शामिल थीं। इससे आवंटियों को अनुचित लाभ हआ। अप्रैल 2021 तक औद्योगिक भखंडों के 972 आवंटियों पर 630 करोड की धनराशि बकाया थी।

की अनुमित और परियोजनाओं के पूरा होने से पहले ट्रांसफर की अनुमित देकर प्राधिकरण के अधिकारियों ने जन विश्वास का साफ उल्लंघन किया। इस वजह से प्राधिकरण को 13362 करोड़ की राजस्व हानि, कम वस्ली, आवंटियों को. अनुचित लाभ और अनियमित आवंटन की वजह से हुई। भूमि प्रीमियम, पट्टा किराया और ब्याज में चूक को लेकर अप्रैल 2021 तक प्राधिकरण पर 19500 करोड़ का बकाया था। ब्यूरो